2016/00058 (49)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कौलारी)

पीठासीन अधिकारी –विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या–47/2016

1–कुमरसेन पुत्रश्री वेदरिया जाति कुशवाह निवासी ग्राम बल्दियापुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

---------वादी

बनाम

1–कोकिला वेवा ठकुरी 2–गोकुल 3–सोवरनसिंह 4–नेकसिया पुत्रगण ठकुरी 5–हरदेई 6–हरवन 7–कमला पुत्रीयान ठकुरी समस्त जातिगण कुशवाह निवासी ग्राम बल्दियापुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

7–पंजाव नेशनल बैंक शाखा धौलपुर जरिये शाखा प्रबन्धक

8–पंजाब नेशलनल बैंक शाखा प्रबन्धक सैपऊ तामील जरिये प्रबन्धक

9–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ

------ प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एंव
स्थाई निशेधाज्ञा

उपस्थिति–

1–श्री कुमरसेन – वादी

2–गोकुल वगैरा– प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 4.7.2017

वादी की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते बटवारा काश्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1064, 1066, 1086, 1090, 1092, 1067, 1076, 1077, 1089 वाके ग्राम बल्दियापुरा तहसील सैपऊ का प्रस्तुत किया गया । पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 15.5.2017 को दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटवारा किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार सैपऊ को पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा कैम्प के दौरान विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारों को सुना तथा तहसीलदार द्वारा प्रेषित

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....

विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारों द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिकी किये जाने पर सहमति जाहिर की । तहसीलदार सैपऊ द्वारा मुताबिक दर्ज रिकार्ड तथा पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिकी किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम बल्दियापुरा तहसील सैपऊ के बावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है ।

1—कुमरसेन पुत्रश्री वेदरिया जाति कुशवाह निवासी ग्राम बल्दियापुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर राहिन पी एन बी शाखा धौलपुर

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1064	2.08
	1077	1.09
	1092	1.04
	1089	2.02
	1086/1	0.07
कुल	05	7.10

2—गोकुल पुत्रश्री ठकुरी हिस्सा 1/3 विला रहन, सोरनसिंह पुत्रश्री ठकुरी हिस्सा 2/3 राहिन पी एन बी शाखा सैपऊ जाति कुशवाह निवासी बल्दियापुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1076	2.04
कुल	01	2.04

3—गोकुलसिंह, सोरनसिंह व नेकसिंह पिसरान ठकुरी जाति कुशवाह निवासी बल्दियापुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर सोरनसिंह हिस्सा 1/3 राहिन पी एन बी शाखा सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1067	1.07
कुल	01	1.07

4—कोकिला पत्नी ठकुरी, गोकुल, सोरनसिंह, नेकसिया पुत्रान व हरदेई, हरवन व कमला पुत्रीयान पिसरान ठकुरी जाति काछी निवासी बल्दियापुरा तहसील सैपऊ सोरनसिंह हिस्सा रहन पी एन बी शाखा सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....

	1066	1.08
	1090	2.05
	1086/2	0.07
कुल	03	4.00

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 4.7.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीना)
उप खण्डाधिकारी
सैपऊ